मौलिक अधिकार BY KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

भारतीय सविधान में नागरिको को अधिकार देने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नही कर सकता। भारतीय सविधान के भाग -3 ,अनुछेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है|

मौलिक अधिकार - अनुछेद 12 से 35

अन्य नाम - लोकतंत्र का आधार स्तंभ व भारत का मैग्नाकार्ट / अधिकार पत्र

संरक्षण - मौलिक अधिकारों का संरक्षण भारत के उच्चतम न्यायलय द्वारा किया जाता है |

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गये हैं|

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

सख्या - पहले इनकी संख्या 7 थी लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है |

NOTE – अनुछेद 31 (सम्पति का अधिकार) को 44 वे सविधान संसोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर क़ानूनी अधिकार बनाकर अनुछेद 300(क) में स्थापित कर दिया |

मौलिक अधिकार -

1. समानता का अधिकार (अनुछेद 14 से 18)
2. स्वतंत्र का अधिकार (अनुछेद 19 से 22)
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुछेद 23 से 24)
4. धार्मिक स्वतंत्र का अधिकार (अनुछेद 25 से 28)
5. शिक्षा व सन्स्क्रति का अधिकार (अनुछेद 29 से 30)
6. सवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुछेद 32)

1. समानता का अधिकार (अनुछेद 14 -18)

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

अनुछेद 14. - विधि(कानून) के समक्ष सभी नागरिक समान है कानून सभी नागरिको को समान संरक्षण प्रदान करेगा |

अनुछेद 15. - इस अनुछेद के अनुसार किसी भी नागरिक से जाति, लिंग, धर्म , वंश स्थान तथा किसी भी अन्य प्रकार से भेदभाव नही किया जायेगा , देश के सभी नागरिक समान है |

अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे और SC, ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

अनुछेद 16. - इस अनुछेद के अनुसार किसी भी पद के लिए सभी नागरिको को समान अवसर प्राप्त होंगे किसी से भी भेदभाव नही किया जायेगा सभी नागरिक उस पद के लिए समान रूप से पात्र होंगे |

अनुच्छेद 16(3) के अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास सम्बन्धी शर्त लगाई जा सकती है ।

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

अनुच्छेद 16(4) के अनुसार देश के पिछडे नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है|

अनुछेद 17. - इस अनुछेद के द्वारा अस्प्रश्यता व छुआछूत को समाप्त कर दिया है |

भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार

अनुछेद 18. - उपाधियो का अंत , उपाधियो केवल शिक्षा व सेना के छेत्र में मान्य होगी |

अनुच्छेद 18(2) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता|

NOTE - 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने भारत रत्न पुरुस्कार समाप्त कर दिया उन्होंने कहा की अनु. - 18 का उलघंन हो रहा है लेकिन 1980 में इंद्रा गांधी सरकार के द्वरा भारत रत्न पुरुस्कार पुनः शुरू किया गया |

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

(2) स्वतंत्रता का अधिकार अनुछेद (19 -22)

अनु. 19 - भारतीय नागरिको को प्रदत स्वतंत्रताए

इसमें 7 प्रकार की सवतंत्रता भी लेकिन वर्तमान में 6 है.

अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है । इसी के तहत देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता दी गई है ! संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है।

अनुच्छेद 19(2) के तहत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने और जुलूस निकालने का अधिकार होगा । राज्यों की

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

सार्वजनिक सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 19(3) भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई हैं लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है।

अनुच्छेद 19(4) देश के किसी भी क्षेत्र मे स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता ।

अनुच्छेद 19(5) देश के किसी क्षेत्र में स्थाई निवास की स्वतंत्रता। (जम्मू कश्मीर को छोड़कर)

अनुच्छेद 19(6) कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता

NOTE – अनुछेद 19 आपातकाल के समय समाप्त होता है

अनुच्छेद 20 - इसके अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबध में संरक्षण दिया गया है।

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

1. किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि उसने किसी कानून का अल्लंघन किया है ।

2. किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता ।

3. किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता ।

4. किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरूद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता ।

अनुछेद 21. - किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नही किया जा सकता है ।

अनुछेद 21(A) - इसके अनुसार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है ।

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

NOTE - अनुछेद 20 व 21 आपातकाल में भी लागु रहते है

अनुछेद 22 - निवारक निरोध अधिनियम

- किसी व्यक्ति को गिरप्तारी का कारण बताये बिना गिरप्तार नही किया जा सकता है |
- गिरप्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अन्दर - अन्दर उसे निकटतम न्ययालय में पेश करना होगा एवं बिना न्ययाधीश की अनुमति के उसे 24 घंटे से ज्यादा गिरप्तार नही रखा जा सकता है लेकिन यह संरक्षण किसी विरोधी राष्ट्र के व्यक्ति या निवारक निरोध का प्रावधान करने वाली किसी विधि के अधीन गिरप्तार व्यक्ति पर लागु नही है |

3. शोषण के विरुध अधिकार (अनु.23 व 24) -

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

अनुछेद 23 - इसके अनुसार मानव व्यापार व बेगार तथा बलात श्रम प्रतिबंध लगाया गया है । मानव की खरीद-फरोख्त एवं उससे बेगार लेने को गैर क़ानूनी एवं दंडनीय घोषित किया गया है|

अनुछेद 24 - बालश्रम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चो से कोई जोखिम भरा काम नही करवा सकता है |

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार(अनु. 25 से 28)

अनुच्छेद 25 - इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है ! लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण एवं सुधार आदि के अन्तगत इस पर रोक लगाई जा सकती है |

अनुच्छेद 26 - इसके अनुसार धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना करना व उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध के लिये सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार है ।

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

अनुच्छेद 27 - इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या सम्प्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद 28 - इसके अनुसार राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ।

5. संस्कृति तथा शिक्षा सम्बंधी अधिकार (अनु. 29 व 30) –

अनुछेद 29. - अल्पसंख्यको के हितो का संरक्षण | इस अनुछेद के अनुसार भारत के नागरिको को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार है |

अनुछेद 30. - सभी अल्पसंख्यक वर्गो को धर्म या भाषा पर आधारित अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार है |

6. सम्पति का अधिकार (अनुछेद 31) - इस मौलिक अधिकार को वर्तमान में 44 वे सविधान संशोधन 1978 द्वार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

हटाकर अनुछेद 300(क) में स्थापित करके एक क़ानूनी अधिकार बना दिया गया है |

7. सवैधानिक उपचारों का अधिकार(अनु. 32)

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अनुछेद 32 को सविधान की आत्मा कहा था |

मूल अधिकारों का हनन होने पर अनुछेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तथा अनुछेद 226 के तहत हाईकोर्ट में अपील कर सकते है |

अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिटे जारी करने का अधिकार है –

1. **बंदी प्रत्यक्षीकरण**- बंदी बनाए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाता है बंदी बनाने के कारणों को बंदी बनाने वाले अधिकारी द्वारा साबित किया जाता है यह प्रलेख निजी व्यक्ति संगठन एवं सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

2. **परमादेश** – इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या अधीनस्थ न्यायालय के कर्तव्य पालन के आदेश के लिए आदेश देती है इसके द्वारा न्यायालय संबंधित प्राधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए विवश करती है सिर्फ राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध यह लेख जारी नहीं हो सकता है

3. **प्रतिषेध**- यह लेख उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर कब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण का प्रयास करते हैं

4. **उत्प्रेषण** – इसके अंतर्गत कोई अधिकारी या निचली अदालत बिना किसी आदेश या अधिकार के कोई भी कार्य करती है तो न्यायालय उस मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उच्च अदालत या उच्च अधिकारी को भेज देता है।

5. **अधिकार पृच्छा** – जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद यह अधिकार का प्रयोग करता है तो उसे इसलिए के द्वारा रोका जाता है यह

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

लेख तब जारी किया जाता है जब न्यायालय पूर्ण रूप आश्वस्त हो जाता है कि अधिकार का दुरूपयोग कहां तक हुआ है

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM पर GK,ENGLISH,MATH,REOSNING,SCIENCE व अन्य सभी नोट्स उपलब्ध है

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM

KNOWLEDGEADDA24HOUR.COM